## राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग

कमांक : प.12(3)वित्त(नियम) / 2014

जयपुर, दिनांक : 11 04 2020

## आदेश

विषयः COVID-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी की संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि के संबंध में।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान संविदा कर्मी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि) एवं मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनि आशा इत्यादि) की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित / परिवार को रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि देय होगी।

संविदा कर्मी एवं मानदेय कर्मचारी के परिवार / आश्रित को संबंधित नियंत्रण अधिकारी की अभिशंषा पर संबंधित विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए यह राशि स्वीकृत की जायेगी कि संविदा कर्मी एवं मानदेय कर्मचारी की कोरोना अभियान में ड्यूटी के दौरान संकमित होने पर तथा इलाज के समय असामायिक मृत्यु हुई है।

यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित Pradhan Mantri Garib Kalyan Package : Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19 में शामिल श्रेणी के कर्मियों को देय नहीं होगी। यह सहायता राशि कोरोना अभियान से संबंधित व्यय मद से वहन की जावेगी।

(निरंजन कुमार आर्य) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

- सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
- 3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- 5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- समस्त विभागाध्यक्ष
- निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
- समस्त कोषाधिकारी
- 9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
- 10. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ:

- 1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- 2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(कीर्ति जैन) संयुक्त शासन सचिव

Pensian Ost 2020